

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

(विहार सरकार का उपक्रम)

पाँचवां तल्ला, विहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

शास्त्री नगर, पटना - 800023

सं0सं0:-PMAA/PRN/SARARI / G+04/61/2021 — ८५६

पटना, दिनांक- ०४.१२.२०२१

प्रेपक,

प्रभारी निदेशक,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
विहार पटना।

सेवा में,

श्री समरेन्द्र सिंह,
प्रबंधक निदेशक—मुन्डेश्वरी मल्टीकॉन प्रा० लि०,
पिता—श्री सरयू सिंह,
फ्लैट नं०-५०१, तालूका अपार्टमेन्ट,
सरयू कम्प्लेक्स, बुद्धा कॉलोनी, पत्रालय—जी०पी०ओ०,
जिला—पटना।

विषयः— प्लान केस संख्या:- PMAA/PRN/SARARI / G+04/61/2021 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन सं0:- PMAA/PRN/SARARI / G+04/61/2021 दिनांक-०३.११.२०२१ के संदर्भ में
श्री समरेन्द्र सिंह, प्रबंधक निदेशक—मुन्डेश्वरी मल्टीकॉन प्रा० लि०, पिता—श्री सरयू सिंह, फ्लैट नं०-५०१,
तालूका अपार्टमेन्ट, सरयू कम्प्लेक्स, बुद्धा कॉलोनी, पत्रालय—जी०पी०ओ०, जिला—पटना, विहार के भवन
निर्माण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में विहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के
अधीन अधिसूचित विकास योजना/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/आयोजना स्कीम/पटना मास्टर प्लान-
२०३१ के आलोक में मौजा—सरारी, थाना—दानापुर, थाना सं०-४४, सर्वे प्लॉट सं०-५९८(अंश), खाता सं०-१३९
में आवासीय भवन, (G + 04) दिनांक-३०.११.२०२१ को स्वीकृतार्थ नक्शा के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वद्धनों
के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

१. भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से आवासीय भवन प्रयोजन, के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
२. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
३. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया 480.72 वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
४. प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
५. भूखण्ड के पश्चिम में 12.30मी० से 12.32मी० चौड़ी वर्तमान सड़क अवस्थित है।
६. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

7. इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो के अधिकार हक, हित की बावत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
8. योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बावत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्थतः रद्द समझी जायेगी।
9. भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
10. निर्माणकर्ता को प्राधिकार के विनिर्देशों के अनुसार मल जल, निकास सड़क, एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं का विकास बिहार भवन उपविधि 2014 में प्रावधानित उपविधि 8(5) के आलोक में करना होगा।
11. बिहार भू-सम्पदा (विनियामक और विकास) नियमावली 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से इस परियोजना का निवंधन अनिवार्य होगा।
12. श्रम सेस के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग/श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों का अनुपालन निर्माणकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
13. समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेशों एवं नीतियों का विस्तृत रूप में पालन करना अनिवार्य होगा।
14. स्थल पर Rainwater Harvesting का प्रावधान निश्चित रूप से करना होगा।
15. बिहार भवन उपविधि-2014 एवं पटना मास्टर प्लान-2031 के साथ DCR में प्रावधानित के अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न कराना होगा।
16. बिहार भवन उपविधि-2014 एवं पटना मास्टर प्लान-2031 के आलोक में स्वीकृत नक्शा में प्रावधानित ग्रीन एरिया का प्रावधान किया जाए।

विश्वासमाजन

प्रभारी निदेशक,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार।